न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या–589/2026
दानापुर थाना कांड संख्या– 487/2026

1. राजकुमार यादव पिता स्व0 भुलेटन राय।
साकिन–पेठिया बाजार नजदीक सोनारी टेम्पल, वार्ड सं0–01, थाना–दानापुर, जिला–पटना।
—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– मिस0 रिंकी कुमारी, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

26.05.2026 दानापुर थाना कांड संख्या–487/2026 धारा–25(1–बी.)ए.,26,35 शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस नियमित जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक–07.05.2026 से काराधीन है। अभियुक्त को नियमित जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक मनीष पासवान, स0अ0नि0, दानापुर का कथन है कि दिनांक–06.05.2026 को समय करीब 14.10 बजे गस्ती के क्रम में बीबीगंज मोड़ पर थे, तो गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि पेठिया बाजार सोनारी मंदिर के पास के रहने वाले राजकुमार यादव के घर में अवैध हथियार रखा हुआ है, त्वरित कार्रवाई करने पर हथियार मिलने की प्रबल संभावना है। सूचना से थानाध्यक्ष महोदय को अवगत कराते हुये आदेशानुसार सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बीबीगंज मोड़ से उसीसमय पेठिया बाजार सोनारी मंदिर प्रस्थान किये। समय करीब 14.30 बजे पेठिया बाजार सोनारी मंदिर राजकुमार यादव के घर के पास पहूँचा तो थाना से सहयोग करने हेतु परि0पु0अ0नि0 प्रीति कुमारी एवं स0अ0नि0 राजीव कुमार आवश्यक अनुसंधान कीट के साथ उपस्थित मिले, साथ लेते हुये पेठिया बाजार सोनारी मंदिर राजकुमार यादव के घर का विधिवत् रूप से घेराबंदी करते हुये छापामारी किया तो घर पर एक व्यक्ति उपस्थित मिले। पुलिस बल की कार्रवाई देखकर आसपास के लोग जमा हो गये, जिसमें से दो व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी बनने को अनुरोध किये, परन्तु कोई तैयार नहीं हुये। तत्पश्चात् गश्ती दल के गृ0र0 विजेन्द्र प्रसाद एवं अशोक कुमार को स्वतंत्र साक्षी मानते हुये व तलाशी नियमों का पालन करते हुये घर पर उपस्थित व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम राजकुमार यादव बताये। विधिवत् विडियोग्राफी करते हुये उनके घर का तलाशी प्रारंभ किया तो तलाशी के क्रम में घर के दूसरे तल के छत पर ऐलबेस्टर के बने छत के कमरा में ईट के नीचे छिपाकर एक देशी पिस्टल तथा ग्यारह जिन्दा कारतुस बरामद

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—589/2026
दानापुर थाना कांड संख्या— 487/2026

लगातार
26.05.2026

हुआ। बरामद आग्नेयास्त्र एवं कारतुस के संबंध में घेरे में लिये गये व्यक्ति राजकुमार यादव से पुछताछ करने पर बताया कि बरामद आग्नेयास्त्र एवं कारतुस उनके लड़का रंजीत कुमार का है तथा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है। मेरा लड़का बेउर जेल में काराधीन है। राजकुमार यादव से बरामद आग्नेयास्त्र/कारतुस से संबंधित बैध कागजात की मॉग किया, तो कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। बरामद आग्नेयास्त्र एवं कारतुस का विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। तलाशी एवं जप्ती प्रक्रिया का विधिवत् ई–साक्ष्य एप पर विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी को अपलोड किय, जिसका SID No-1008732435316080 है। जप्ती सूची पर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना'–अपना हस्ताक्षर बनाया व जप्ती सूची की एक प्रति घेर में लिये गये राजकुमार यादव को हस्तगत कराया गया और विधिवत् गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गयी व राजकुमार यादव तथा जप्ती सूची के अनुसार जप्त प्रदर्श को पुलिस निगरानी में लेकर थाना वापस आया। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी के टंकित आवेदन में आवेदक राजकुमार यादव द्वारा पुछताछ करने पर बताया गया कि बरामद आग्नेयास्त्र एवं कारतुस मेरे लड़का रंजीत कुमार का है, जो कि बेउर कारा में काराधीन है। कांड दैनिकी के पैरा–39. में उल्लिखित किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है तथा आवेदक का उम्र 62 वर्ष है, जो कि वरीय नागरिक है, जिनका ईलाज पी0एम0सी0एच0,पटना में चल रहा था, के संबंध में Discharge Ticket की छायाप्रति दाखिल किया गया है, के अवलोकन से विदित है कि उक्त आवेदक को रक्त चाप की शिकायत है। आवेदक दिनांक–07.05.2026 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काराधीन अभियुक्त राजकुमार यादव को इस शर्त पर जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि इसतरह का अपराध भविष्य में नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे, आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को विचारण न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे व एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-
अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।